

फर्ट अहकाम

(नियम 15)

राज्य उपजिला फर्टवट्टर एवं मजिस्ट्रेट टोहामीम (करोली)

डिप्टी कमिश्नर वनाम ए. हरमजी गोयल

मा. दावा नं. १५५५ आराजीया नं. २ सन २००७

आराजीया नं. १५५५ आराजीया नं. २
हृदय या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

वादी वकील श्री विष्णु कंटक पट्ट ने दावानोपत
तत्कारण आराजीया नं. १५५५ आराजीया नं. २
पेश किया, दिनांक ३/२/०७ को पेश ले।

उपजिला फर्टवट्टर
टोहामीम (करोली)

२/०७ वादी वकील उपजिला नं. ३४, ३५ को
पेश लेने के कारण दि. १३/३/०७ को पेश ले।

३/०७ वादी वकील उपजिला नं. ३४, ३५ को
कोर से गलत सुचना के दि. उपजिला नं. ३४ को
विष्णु कंटक पेश किया किमति मिसल में लगे पेश ले।
प्रातिवक्षी नं. १-हरमजी, २४-समयुक्त, २९- हरि
फौज लेन बनाया परिसर सुचना वादी वकील
को दि. गे. प्रातिवक्षी १, २४, २९ के कारण
सुचना का प्राप्य पेश करे वादी वकील ने
समय पाया। एष प्रातिवक्षी को कोर से ले
देने से शर्मा ए. ने वकालतनामा पेश कर पेश
के समय पाया। वरने पेश करे ३९ कारण
सुचना प्रातिवक्षी १, २४, २९ एवं पेश दि. ३/४/०७
७/४/०७ को पेश ले।

४/०७ प्रवृत्त उपजिला नं. ३४, ३५ को
को पेश ले।

क्रमिक टिप्पणी

31-8-2020

प्रकरण में वादी को नोटिस जारी
 किया। नोटिस की तारीख पुत्र से होकर
 हुआ। वादी स्वयं उपस्थित हुआ।
 दी वकील एवं ^{दुख} वादी गिराज 5/10 बतारिया गूर्जर निवासी
 जौली ने कथन किया कि इस प्रकरण में
 नोटिस द्वारा जीयात के बाबत मुकदमा
 नवीय राजस्व मंडल अजमेर से डिप्टी
 ग मुकदमा ही जारी की खोते दारी का नाम
 ही हो चुका है। इसलिए इस मुकदमे को
 गिरे चलाना नहीं चाहते ही मुकदमा ~~रखना~~
 खारिज कर दिया जावे। वादी द्वारा
 मुकदमा आगे नहीं चलाने व खारिज कराना
 होने से यह मुकदमा खारिज किया जाता
 है। पत्रावली फैसल नुमा होकर नुमा से
 होकर दाखिल दफतर हो।

इस प्रकार,
 मुकदमा
 पताना नही
 जाते

गिराज
 जो
 (A.P.N. वादी)

21/8/2020
 (दुर्गा प्रसाद मीना)
 उपखण्ड अधिकारी टोंडामी
 जिला-करोली

वादी-

धर्मसिंह

धर्मसिंह

सुद

टोंडामी

करोली,